न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-03/2019/टोंक

गोपाल पुत्र जगदीश, जाति मीणा, निवासी ग्राम समदपुरा, तहसील पीपलु जिला टोंक।

-अपीलांट

बनाम

1. सरजीवन मीणा पुत्र स्व0 घासी मीणा, निवासी समदपुरा, तहसील पीपलु, जिला टोंक।
2. छोटू पुत्र जगन्नाथ मीणा, निवासी ग्राम समदपुरा, तहसील पीपलू, जिला टोंक(नाम तर्क आदेश दिनांक 10.11.2022)
2. ग्राम पंचायत बोरखण्डीकलां, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बोरखण्डीकलां, तहसील पीपलु, जिला टोंक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , पीपलु, जिला टोंक

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.10.2018 विद्वान उपखण्ड अधिकारी पीपलु प्रकरण संख्या 02/2018 बउनवानी सरजीवन बनाम गोपाल में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–श्री हेमराज गुप्ता(वकील अपी0)
रेस्पोडेंट–1 अभि0:–श्री गजेन्द्र सिंह
राजकीय अभि0:–श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः–31.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रहीमनगर तहसील पीपलु में मड्या पुत्र भूरा की विरासत का नामातंरण संख्या 695 दिनांक 02.12.2016 को वर्तमान अपीलांट गोपाल पुत्र जग्गा मीणा के पक्ष में तस्दीक किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 सरजीवन मीणा द्वारा उक्त नामातंरण की अपील उपखण्ड अधिकारी पीपलु न्यायालय में इस आशय के साथ की गई कि मड्या की विरासत अकेले गोपाल मीणा के नाम खोली गई है जो गलत है। जबकि विरासत सरजीवन मीणा और छोटू पुत्र जगन्नाथ मीणा के नाम भी खुलनी चाहिए थी। बिना हमे सूचना दिये उक्त नामातंरण खोला गया था। वारिसान की भी जांच नहीं की गई थी। अतः अपील स्वीकार की जाये और नामातंरण संख्या 695 को निरस्त किया जाये। उपखण्ड अधिकारी पीपलु द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 26.10.2018 को नामातंरण संख्या 695 ग्राम रहीमनगर दिनांक 02.12.2016 को निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गई है–

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल नामातंरण को तलब नहीं किया गया।
2. गवाहों से जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया।
3. सरजीवन घासी का वारिस नही है तथा उसे अपील करने का अधिकार नहीं है।
4. छोटू पुत्र जगन्नाथ द्वारा अपना हिस्सा अपीलांट के पक्ष में छोड़ दिया गया था। रामनारायण पुत्र भूरा की दोनो पुत्रियों वैशाली व रामप्यारी का विवाह हो चुका है। अनुसूचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:07 IST
Reason: SelfAttested

जनजाति के सदस्य होने के नातिर दोनो के विवाहित होने के कारण उनका मड्या की विरासत प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा सही निर्णय किया गया था।

5. उत्तराधिकार के जटिल प्रश्नों का निस्तारण नियमित वाद दायर कर अधिकारों की घोषणा करवाये जाना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग किया है। उपखण्ड अधिकारी पीपलु द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018 को निरस्त किया जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र, स्थगन प्रार्थना नियम 17,32 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल मय शपथ पत्रों के साथ प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र धारा 5 में प्रार्थी ने बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उनके अभिभाषक द्वारा नहीं दी गई थी। दिनांक 02.01.2019 को अपने अभिभाषक से उक्त निर्णय की जानकारी हुई। उसके पश्चात प्रमाणित प्रति प्राप्त कर दिनांक 09.01.2019 को अजमेर आकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर बिना देरी के अपील प्रस्तुत की गई है। देरी को क्षमा किया जाये।

स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा बताया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की आड़ में अप्रार्थी प्रार्थी के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जेकाश्त में दखल कर उसे कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है। इस वजह से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी पीपलु दिनांक 26.10.2018 की पालना एवं प्रभाव अपील निस्तारण तक स्थगित करते हुए मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17,32 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल के अनुसार नामातंरण संख्या 695 दिनांक 02.12.2016 ग्राम पंचायत बोरखण्डीकलां की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जाये।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। वकील अपीलांट ने अपनी अपील मीमो में बताये गये आधार को ही बहस के बिन्दु बताये है तथा रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा लिखित बहस हेतु निवेदन किया है मगर उनके द्वरा अभी लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई है।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बिन्दु बाबत विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2018 का है। अपीलांट द्वारा दिनांक 14.01.2019 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई है। चूंकि अपीलांट को उनके अभिभाषक द्वारा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं दी गई थी। अतः उनके द्वारा समय पर अपील प्रस्तुत नही की गई थी। मगर जानकारी दिनांक के तुरंत बाद उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर आरम्भिक सुनवाई कर दिनांक 30.01.2019 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17,32 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा नामांतरण संख्या 695 दिनांक 02.12.2016 ग्राम पंचायत बोरखण्डीकलां बाबत प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जो

नकल अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। उन्हे उक्त नामातंरण की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की छूट प्रदान की जाती है।

रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10ए सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 छोटू पुत्र जगन्नथ मीणा का स्वर्गवास दिनांक 31.08.2020 को हो चुका है। अतः अपीलांट को निर्देश दिये जाये कि मृतक रेस्पोडेंट छोटू के वारिसान को रिकोर्ड पर लेने की कार्यवाही करें। दिनांक 26.05.2022 को अपीलांट अभिभाषक की ओर से जवाब दिया गया कि छोटू पुत्र जगन्नाथ मीणा का स्वर्गवास दिनांक 31.08.2020 को हो चुका है। स्वर्गीय छोटू के कोई जाइन्दा वारिस नहीं है। स्वर्गीय छोटू के द्वारा एक वसीयत वर्तमान अपीलांट के अक में दिनांक 23.01.2018 को निष्पादित की है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। ऐसी स्थिति में जब वर्तमान अपीलांट को ही स्वर्गीय छोटू के एकमात्र विधित वारिस एवं उत्तराधिकारी बताया है। जो पहले से अपील में अपीलांट के रूप में पक्षकार के रूप में दर्ज है। अतः रेस्पोडेंट संख्या 2 का नाम तर्क किया जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रकरण संख्या 2/2018 प्रकरण से संबंधित प्रोसिडिंग दिनांक 17.01.2018 से 26.10.2018 का अवलोकन किया गया। दिनांक 15.05.2018 को पत्रावली लोकअदालत कैम्प में रखी गई थी। मगर राजीनामा नही हुआ। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल नामातंरण तलब किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो उचित नही है। उपखण्ड अधिकारी पीपलु के अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। उन्होने अपने निर्णय में यह बताया कि मड्या की विरासत गोपाल के अतिरिक्त अन्य भी प्राप्त करने के अधिकारी थे। अपने निर्णय में उन्होने गोपाल बनाम लक्ष्मीनारायण की आदेशिका की प्रति वाद प्रकरण की प्रतिलिपी की प्रति का उल्लेख किया है। गोपाल ने उक्त वादपत्र में लक्ष्मीनारायण पुत्र बिरदा जाति मीणा, रूपनारायण पुत्र बिरदा जाति मीणा, लारी पुत्री बिरदा जाति मीणा, चांवली पुत्री बिरदा जाति मीणा, पारा बेवा बिरदा जाति मीणा को पारिवारिक सजरे में सदस्य नहीं माना है तथा इनके नाम इस वादपत्र में अंकित विवादित भूमियों में इनका 1/2 हिस्सा दर्ज करने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए वादपत्र में अंकन किया था। उक्त वादपत्र में सजरा निम्नानुसार अंकित है। मूल पुरूष भूरा है। उसके चार पुत्र है–रामनारायण, जगन्नाथ, जगदीश और मड़िया। मड़िया को लाऔलाद फौत बताया है। जगदीश के एक पुत्र गोपाल व उसकी विधवा जमना है। जगन्नाथ के चार पुत्र है–घासी,सीताराम,रामावतार,छोटू और बेवा धापू है। घासी, सीताराम और रामावतार को लाऔलाद फौत बताया है। भूरा के पुत्र रामनारायण की पत्नि गेहखां को बताया है। मिसल बन्दोबस्त संवत 2028–41 में उक्त भूमियां गैहखां पुत्री रामनारायण तथा जगदीश, मड़िया व जगन्नाथ के नाम दर्ज रिकोर्ड बतायी गई है। वर्तमान अपीलांट ने अपील मीमो में रामनारायण की दोनो पुत्रीयों–वैशाली और रामप्यारी का विवाह होना अन्यत्र बताया है तथा छोटू पुत्र जगन्नाथ द्वारा अपना हिस्सा गोपाल के पक्ष में वसीयत होना बताया है। मड़िया को लाऔलाद फौत होना बताया है।

अपीलांट द्वारा यह भी बताया गया है कि सरजीवन घासी मीणा का पुत्र नहीं है। अपितु हनुमान का पुत्र है। इस बाबत अधीनस्थ पत्रावली पर अपीलांट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किशनगढ़ मे प्रार्थना पत्र संख्या 286 दिनांक [illegible].03.2018 वाद संख्या 115 भैरवनगर वार्ड 31 किशनगढ़ से संबंधित मतदाता सूची प्रस्तुत की [illegible]। जिसके अनुसार हनुमान प्रसाद के पिता का नाम गंगाराम है। बिदामी हनुमान प्रसाद [illegible] पत्नि है तथा सरजीवन हनुमान का पुत्र है तथा उषा सरजीवन की पत्नि है। इसका प्रमाणीकरण स्वयं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किशनगढ़ द्वारा किया गया है। उक्त स्पष्ट दस्तावेज के बावजूद प्रकरण संख्या 12/18 में तहसीलदार पीपलु द्वारा सरजीवन को घासी का पुत्र मानते हुए घासी के हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:07 IST
Reason: SelfAttested

विरासत में सरजीवन का नाम दर्ज करने का आदेश दिया था जो उचित नहीं था। वही सरजीवन वर्तमान प्रकरण में अपीलांट है। विवादित नामातंरण 695 ग्राम रहीमनगर का अवलोकन किया गया। उसमें यह अंकित है कि खातेदार मड़िया पुत्र भूरा की जानकारी की गई। खातेदार की मृत्यु साबित पाया गया। मड़िया के वारिस गोपाल पुत्र जग्गा मीणा के नाम नामातंरण स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत नामातंरण ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा दिनांक 02.12.2016 को स्वीकृत किया गया था। नामातंरण के कॉलम नम्बर 14 में मड़िया की मृत्यु दिनांक 22.11.2013 में बतायी गई है। पटवारी द्वारा यह लिखा गया है कि मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र के खातेदार मड़िया को उसके स्थान पर बताये गये वारिसान की जांच कर विरासत का नामातंरण भरकर बाद जांच तस्दीक हेतु पेश है। गिरदावर द्वारा यह अंकित किया है कि पंचनामा और मृत्यु प्रमाण पत्र में अंतर है, खारिज योग्य है। पंचनामें का स्टाम्प दिनांक 07.10.2013 को गोपाल द्वारा खरीद करना पाया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र मड़िया दिनांक 25.02.2016 को जारी किया जाना बताया है। इसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक संख्या 7 दिनांक 14.02.2014 को किया गया है। विवादित नामातंरण 695 दिनांक 02.12.2016 को स्वीकृत किया है। सरजीवन द्वारा उपखण्ड न्यायालय में दिनांक 12.01.2018 को अपील दर्ज करवायी है। विवादित प्रकरण संख्या 12/2018 सरजीवन मीणा बनाम ग्राम पंचायत बोरखण्डीकलां तहसीलदार पीपलु द्वारा दिनांक 10.09.2018 को किया गया है। अपीलांट द्वारा सरजीवन को घासी का पुत्र नहीं माना है। सरजीवन घासी का पुत्र बनकर विवादित भूमि में अपने हिस्से को क्लेम करता है। मूल रूप से प्रकरण विवादित विरासत से संबंधित है। ऐसे जटिल प्रश्नों का निपटारा नामातंरण की प्रक्रिया के माध्यम से संभव नही हो सकता है। इस हेतु रेस्पोडेंट 1 को चाहिए कि वह सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर खातेदारी घोषणा का वाद लाये। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 2/2018 बउनवानी सरजीवन बनाम गोपाल दिनांक 26.10.2018 को खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:07 IST
Reason: SelfAttested